राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / न्याय / 2018 / 940   दिनांकः 15.02.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी / विविध / झाला / 17 / 4548–49 दिनांक 12.02.2018 से पुलिस थाना सदर झालावाड के अभियोग सं0 12 / 18 धारा 3 / 25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मोनु राठौर उर्फ राजकुमार पुत्र दुलीचंद जाति तेली निवासी बरडी का चबूतरा हाई स्कूल रोड, भैसा पाडा, झालरापाटन थाना झालरापाटन के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3 / 25 के अंतर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.01.2018 को मुखबिर की सूचना पर श्री संजय प्रसाद थानाधिकारी मय जाप्ता रवाना हौकर डोण्डा तालाब के पास पहुंचे जहा मुखबिर द्वारा बताये गये हुलिये का एक व्यक्ति पुलिस जापता व गाडी को देखकर तेज कदमो से जाने लगा। जिसे जाप्ते की इमदाद से घेरा देकर पकडा व उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मोनु राठौर उर्फ राजकुमार पुत्र दुलीचंद जाति तेली निवासी बरडी का चबूतरा हाई स्कूल रोड, भैसा पाडा, झालरापाटन थाना झालरापाटन होना बताया। जिसे कब्जे से एक देशी पिस्टल लोहा व 4 जिदां कारतूस बरामद किये। जिसका लायसेंस उसके पास नही होना बताया गया। मौके पर कार्यवाही कर वापसी थाना पर प्रकरण सं0 12 / 18 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट मे पंजीबद्व कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एंव गवाहान के कथन लेखबद्व किये अभियुक्त मोनु राठौर उर्फ राजकुमार को गिरफतार कर अनुसंधान किया गया। जब्तशुदा देशी पिस्टल व कारतूस का मेकेनिकल मुआयना आरर्मोरर पुलिस लाईन से करवाया गया। आरर्मोरर ने अपनी रिपोर्ट मे उक्त देशी पिस्टल फायर करने योग्य बताई जो फायर आर्म्स की श्रेणी मे आती है एंव 4 जिदां कारतूस एम्युनेशन की परिभाषा मे आना बताया। अभियुक्त के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अब्दुल लतीफ, एएसआई थाना सदर झालावाड व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यंशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी पिस्टल व 4 कारतूसो को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त मोनु राठौर उर्फ राजकुमार पुत्र दुलीचंद जाति तेली निवासी बरडी का चबूतरा हाई स्कूल रोड, भैसा पाडा, झालरापाटन थाना झालरापाटन के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, झालवाड